



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31072025-265134
CG-TL-E-31072025-265134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3438]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3438]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना
सिकंदराबाद, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3521(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, कर्नाटक राज्य के कलबुरगि जिले में रेल मंत्रालय के विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् " गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के अंतर्गत सिकंदराबाद-वाडी रेलवे सेक्शन पर सुलेहल्ली स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली कोइला सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित साइडिंग कनेक्टिविटी " के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक कमिशनर अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) सेडम, कलबुरगि जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक कमिशनर अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) सेडम, कलबुरगि जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि भूमि

अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

- क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करना;
- ख) समतलीकरण करना;
- ग) उक्त भूमि में खुदाई या गड्ढे बनाना;
- घ) कार्य की सीमाओं और इच्छित रेखाओं को रेखांकित करना;
- ङ) ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्न लगाकर और खाइयों को भरकर चिह्नित करना, या;
- च) ऐसे अन्य कार्य और चीजें करना जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत माना जाए।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कलबुरगि जिले में रेल मंत्रालय के विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् “सिकंदराबाद-वाडी सेक्शन पर सुलेहल्ली स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली विद्यमान गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) के अंतिम छोर से विस्तार सहित, मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के कोड्ला सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित साइडिंग कनेक्टिविटी”, हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

रेल मंत्रालय के “ गति शक्ति मल्टी-मॉडल कारगो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के अंतर्गत सिकंदराबाद-वाडी रेलवे ट्रैक सेक्शन पर सुलेहल्ली स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली कोड्ला सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित साइडिंग कनेक्टिविटी ” का सार						
कलबुरगि जिला						
चित्तापूर तालुका						
क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.20ए	जेएमसी सर्वेक्षण सं.	अधिसूचना के लिए			अभ्युक्तियां
			एकड़	गुंटा	अ	
के. चित्तापूर गांव के भूमि का विवरण						
1	481/2	481/4		0	8	कृषि
2	482/2	482/6		2	15	कृषि
3	482/5 आर	482/5		22	5	कृषि
4	258/4	258/3		6	14	कृषि
5	227/1	227/2		5	9	कृषि
के. नगमवा गांव के भूमि का विवरण						
1	261/5	261/7		7	11	कृषि
2	263/2	263/4		0	11	कृषि
3	312/7 और 312/5	312/7		5	5	कृषि
4	292/2	292/1		19	3	कृषि

5	294/2	294/3	1	14	14	कृषि
6	297/1	297/4		0	4	कृषि
7	297/2	297/2		1	0	कृषि
8	297/3	297/3		2	2	कृषि
9	304	304/6		8	6	कृषि
10	301/1	301/4		0	12	कृषि
11	303/3	303/4		10	6	कृषि
होसुरा गांव के भूमि का विवरण						
1	62/2	62/4	1	5		कृषि
2	64/2	64/3	1	32	1	कृषि
धिग्गांव गांव के भूमि का विवरण						
1	764/3	764/3		4	14	कृषि
2	763/2	763/4		14	13	कृषि
3	761/3	761/3		6	6	कृषि
4	760/1	760/3		1	0	कृषि
5	756/1	756/1		7	4	कृषि
6	758/1	758/1		1	3	कृषि
7	758/2	758/2		3	1	कृषि
8	742/2	742/4		6	5	कृषि
9	743/1	743/13		2	8	कृषि
10	743/5	743/11		1	12	कृषि
11	743/3	743/12		0	11	कृषि
12	730/1 और 730/2	730/3		0	7	कृषि
13	729/3 और 1	729/4		5	0	कृषि
14	723/3	723/7		0	2	कृषि
15	723/4	723/12		0	1	कृषि
16	723/5	723/14		7	8	कृषि
17	724	724/4		14	10	कृषि
18	694/4	694/6		23	3	कृषि
19	693/2	693/5		1	6	कृषि
20	687/2	687/3		0	13	कृषि
21	688/1	688/8		6	3	कृषि
22	688/5	688/10		7	0	कृषि
23	688/6	688/6		1	13	कृषि
24	689	689/2		26	5	कृषि

25	645/2	645/2		1	13	कृषि
26	646/1	646/3		5	11	कृषि
27	647/1	647/1		0	12	कृषि
28	649/1	649/7		8	4	कृषि
29	649/2	649/2		0	2	कृषि
30	633	633/2		3	8	कृषि
31	625/1			0	3	कृषि
32	626/1	626/1		29	10	कृषि
33	626/2	626/2		11	4	कृषि
34	627/3 और 627/4	627/4		14	13	कृषि
दोनगांव गांव के भूमि का विवरण						
1	025,025/1,025/2 और 025/3	25		16	3	कृषि
2		25				कृषि
3		25				कृषि
4	020/5	020/5		0	5	कृषि
5	020/4	020/4		4	6	कृषि
6	026/3					कृषि
7	026/2	026/7		25	5	कृषि
8	027/2	027/13		0	4	कृषि
9	027/6	027/19		0	1	कृषि
10	029/1	029/5		2	0	कृषि
सेडम तालुका						
बैनकनहल्लि गांव के भूमि का विवरण						
1	451/2	451/4		7	5	कृषि
2	448/2	448/4		1	2	कृषि
3	437/1	437/1	2	7	0	कृषि
4	438	438	1	12	15	कृषि
5	439/2	439/4	1	16	4	कृषि
6	439/3	439/6	1	13	11	कृषि
7	429/3	429/5	0	25	10	कृषि
8	429/1	429/1	1	10	5	कृषि
9	429/2	429/10				कृषि
10	420/1	420/8	0	8	6	कृषि
11	420/6	420/6		5	10	कृषि
12	420/2	420/12	1	3	9	कृषि

13	420/7	420/10	1	17	15	कृषि
14	420/7					कृषि
15	421/1	421/9	1	20	11	कृषि
16	363/1	363/5	0	18	2	कृषि
17	363/2	363/7	0	22	15	कृषि
18	362/1	362/1	1	0	12	कृषि
सकल योग (एकड़ एवं गुंटा में) :			13	575	510	
सकल योग (एकड़ एवं गुंटा में) :			28	7		
मूल अधिसूचित क्षेत्र (एकड़ – गुंटा – अ में) : 104-25-06						
जेएमसी के अनुसार / वास्तविक क्षेत्र (एकड़ – गुंटा – अ में) : 120-32-00						
अंतर के अनुसार निचला क्षेत्र (एकड़ – गुंटा – अ में) : 11-00-00						
अंतर के अनुसार ऊपरी क्षेत्र (एकड़ – गुंटा – अ में) : 28-07-00						
अतिरिक्त भूमि उच्च-निम्न क्षेत्र (एकड़ – गुंटा – अ में) : 17-07-00						
पुनः अधिसूचना क्षेत्र (एकड़ – गुंटा – अ में) : 28-07-00						

[फा. सं. W.Con.182/SRP-14/SCL-KODLA/24-25/262/20A/280725]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 29th July, 2025

S.O. 3521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution of the Special Railway Project namely, “Proposed siding connectivity to Kodla Cement Plant, served by Sulehalli station on Secunderabad-Wadi railway track section under “Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal (GCT) policy” of Ministry of Railways, in Kalaburagi district in the state of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Assistant Commissioner officer (land acquisition) Sedam, Kalaburagi district in writing, and shall set out grounds thereof and the Competent Authority namely Assistant Commissioner (land Acquisition) Sedam, Kalaburagi district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

- To inspect, survey, measure, evaluate or investigate;
- Taking level;

- (c) Digging or making holes in the said land;
- (d) To outline the boundaries and intended lines of work;
- (e) Marking such levels, boundaries and lines by placing marks and filling ditches, or;
- (f) To do such others acts and things as may be considered by the competent authority, lawful will be.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special railway project namely.
“Proposed siding connectivity to Kodla Cement Plant of M/s. Shree Cement Ltd, with extension from dead end
of their existing Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal (GCT) served by Sulehalli station on SC-Wadi
section” of Ministry of Railways, in the district of Kalaburagi, of State of Karnataka.**

Summary of “Proposed siding connectivity to Kodla Cement Plant, served by Sulehalli station on Secunderabad-Wadi railway track section under “Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal (GCT) policy” of Ministry of Railways"						
Kalaburgi District						
Chittapur Taluka						
SL No.	Sy. No. 20A	JMC Sy. No.	For Notification			Remarks
			A	G	Ann	
K. Chittapura Village Land Details						
1	481/2	481/4		0	8	Agriculture
2	482/2	482/6		2	15	Agriculture
3	482/5 R	482/5		22	5	Agriculture
4	258/4	258/3		6	14	Agriculture
5	227/1	227/2		5	9	Agriculture
K. Nagmava Village Land Details						
1	261/5	261/7		7	11	Agriculture
2	263/2	263/4		0	11	Agriculture
3	312/7 & 312/5	312/7		5	5	Agriculture
4	292/2	292/1		19	3	Agriculture
5	294/2	294/3	1	14	14	Agriculture
6	297/1	297/4		0	4	Agriculture
7	297/2	297/2		1	0	Agriculture
8	297/3	297/3		2	2	Agriculture
9	304	304/6		8	6	Agriculture
10	301/1	301/4		0	12	Agriculture
11	303/3	303/4		10	6	Agriculture
Hosura Village Land Details						
1	62/2	62/4	1	5		Agriculture
2	64/2	64/3	1	32	1	Agriculture
Dhiggaov Village Land Details						
1	764/3	764/3		4	14	Agriculture
2	763/2	763/4		14	13	Agriculture
3	761/3	761/3		6	6	Agriculture

4	760/1	760/3		1	0	Agriculture
5	756/1	756/1		7	4	Agriculture
6	758/1	758/1		1	3	Agriculture
7	758/2	758/2		3	1	Agriculture
8	742/2	742/4		6	5	Agriculture
9	743/1	743/13		2	8	Agriculture
10	743/5	743/11		1	12	Agriculture
11	743/3	743/12		0	11	Agriculture
12	730/1 & 730/2	730/3		0	7	Agriculture
13	729/3&1	729/4		5	0	Agriculture
14	723/3	723/7		0	2	Agriculture
15	723/4	723/12		0	1	Agriculture
16	723/5	723/14		7	8	Agriculture
17	724	724/4		14	10	Agriculture
18	694/4	694/6		23	3	Agriculture
19	693/2	693/5		1	6	Agriculture
20	687/2	687/3		0	13	Agriculture
21	688/1	688/8		6	3	Agriculture
22	688/5	688/10		7	0	Agriculture
23	688/6	688/6		1	13	Agriculture
24	689	689/2		26	5	Agriculture
25	645/2	645/2		1	13	Agriculture
26	646/1	646/3		5	11	Agriculture
27	647/1	647/1		0	12	Agriculture
28	649/1	649/7		8	4	Agriculture
29	649/2	649/2		0	2	Agriculture
30	633	633/2		3	8	Agriculture
31	625/1			0	3	Agriculture
32	626/1	626/1		29	10	Agriculture
33	626/2	626/2		11	4	Agriculture
34	627/3 & 627/4	627/4		14	13	Agriculture
Donagaov Village Land Details						
1	025,025/1,025/2 & 025/3	25		16	3	Agriculture
2		25				Agriculture
3		25				Agriculture
4	020/5	020/5		0	5	Agriculture
5	020/4	020/4		4	6	Agriculture
6	026/3					Agriculture
7	026/2	026/7		25	5	Agriculture
8	027/2	027/13		0	4	Agriculture
9	027/6	027/19		0	1	Agriculture

10	029/1	029/5		2	0	Agriculture
Sedam Taluka						
Benakanahalli Village Land Details						
1	451/2	451/4		7	5	Agriculture
2	448/2	448/4		1	2	Agriculture
3	437/1	437/1	2	7	0	Agriculture
4	438	438	1	12	15	Agriculture
5	439/2	439/4	1	16	4	Agriculture
6	439/3	439/6	1	13	11	Agriculture
7	429/3	429/5	0	25	10	Agriculture
8	429/1	429/1	1	10	5	Agriculture
9	429/2	429/10				Agriculture
10	420/1	420/8	0	8	6	Agriculture
11	420/6	420/6		5	10	Agriculture
12	420/2	420/12	1	3	9	Agriculture
13	420/7	420/10	1	17	15	Agriculture
14	420/7					Agriculture
15	421/1	421/9	1	20	11	Agriculture
16	363/1	363/5	0	18	2	Agriculture
17	363/2	363/7	0	22	15	Agriculture
18	362/1	362/1	1	0	12	Agriculture
Grand Total in A & G:			13	575	510	
Grand Total in A & G:			28	7		
Original Notified Area in A – G - An: 104-25-06						
As per JMC/Actual Area in A – G – An: 120-32-00						
As per Difference Low Area in A – G – An: 11-00-00						
As per Difference High Area in A – G – An: 28-07-00						
Additional Land High-Low Area in A – G – An: 17-07-00						
Re-Notification Area in A – G – An: 28-07-00						

[F. No. W.Con.182/SRP-14/SCL-KODLA/24-25/262/20A/280725]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II